**न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।**

अपील **सख्याः– 838/2020** (जीसीएमएस नं. **2020/00607**)

01. पतासी देवी पत्नी रामकुवार जाट, जाति जाट निवासी ग्राम देवन्दो की ढाणी पोस्ट राजावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
02. गजानन्द पुत्र आदित्य नारायण शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गोविन्दगढ़ तहसील चौमू जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

**बनाम**

01. गजानन्द पुत्र बिरदीचन्द, जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम देवगुढ़ा व्यासों का मौहल्ला, दादर बावड़ी तहसील आमेर जिला जयपुर।

——**मुख्य रेस्पोडेन्ट**

02. द्वारका प्रसाद पुत्र रामकिशोर जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम देवगढा व्यासों का मौहल्ला दादर बावड़ी, आमेर जिला जयपुर।
03. दुर्गा देवी पुत्री रामकिशोर जाति ब्राहाम्ण निवासी व्यासों का मौहल्ला दादर बावड़ी आमेर जिला जयपुर।
04. ओमप्रकाश पुत्र बिरदीचन्द,
05. रघुवीर पुत्र बिरदीचन्द,
06. महावीर पुत्र बिरदीचन्द,
07. श्रीमती बिदामी देवी बेवा बिरदीचन्द,
08. राजेन्द्र प्रत्र स्व. धन्नालाल,
09. पवन पुत्र शंकर,
10. बरजी बेवा शंकर,
11. पुष्पा पुत्री शंकर पत्नी मालाराम,
12. प्रेम पुत्री शंकर,
13. श्यामा पुत्री शंकर,
14. मंजू पुत्री शंकर,
15. रामस्वरूप उर्फ रामनिवास पुत्र भूरामल दत्तक पुत्र मुरलीधर समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम देवगुढा व्यासों का मौहल्ला दादर बावड़ी तहसील आमेर जिला जयपुर।
16. ब्रजेश कुमार शर्मा पुत्र लल्लूनारायण माता राजू उर्फ रज्जू देवी दोहिते रामकिशोर निवासी ग्राम नांगल कौजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
17. सुमित्रा पुत्री लल्लूनारायण माता राजू उर्फ रज्जूदेवी दोहिती रामकिशोर निवासी ग्राम नांगल कौजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
18. संतारा शर्मा पुत्री लल्लूनारायण माता राजू उर्फ रज्जू देवी दोहिती रामकिशोर निवासी ग्राम नांगल कौजू तहसील चौमू जिला जयपुर।
19. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
20. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
21. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

**उपस्थितिः–**

1. **श्री नरेन्द्र कुमार यादव एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री बनवारी लाल शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट 1 की ओर से।**
3. **श्री मनीष पारीक एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 16 से 18 की ओर से।**

**P.T.O.**

## निर्णय

दिनांकः 23.01.2023

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष दिनांक एक मियाद बाहर अपील दिनांक 16.01.2014 को प्रस्तुत की किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही कानून के विपरित तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजात की अनदेखी करते हुये एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि मूतदाविया के वास्तविक मुद्‌दे को समझे बिना कतई परवर्स आरबीट्रेरी निर्णय सादिर किया है जो कि विधिक प्रक्रिया के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो फरीकेन पक्षकार मुकदमा बनाया गया तथा ना ही उनको कोई साक्ष्य, समर्थन एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया जबकि अपील प्रस्तुती के दिन भूमि विवादग्रस्त के अपीलार्थीगण पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि खरीदकर भू अभिलेखों में खातेदार काश्तकार थे, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलाधीन नामान्तरकरण से प्रभावित होने के बावजूद पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के स्वयं अपीलार्थी तथा रेस्पोडेन्ट ने मिलीभगत कर वर्तमान राजस्व भू अभिलिखिल खातेदारान के राजस्व कानूनी हक, अधिकारों की साजपूर्वक करटेल करने के लिहाज से आपसी परिवार के पक्षकारान ने मिलीभगत कर मियाद बाहर अपील बिना न्यायोचित कारण के अपील प्रस्तुत की गई, अधीनस्थ न्यायालय ने तत्कालिन राजस्व भू अभिलेखों का एवं प्रभावित होने वाले पक्षकारान के विधिक हक, अधिकारों पर अपना कोई न्यायिक विवेक लगाये बिना तथा उनको सुना जाना उचित नही समझते हुये अवैध अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर पारित किया है जबकि विधि की यह सुस्पष्ट मंशा है कि किसी भी आदेश अथवा निर्णय को खारिज किये जाने से पूर्व उससे प्रभावित होने वाले समस्त सभी पक्षों को कानूनन सुना जाना अवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त की तोहीन करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विरासत के नामान्तरकरण संख्या 511 दिनांक 22.04.2013 को निरस्त किये जाने बाबत इस्तदुआ दादरसी चाही गई थी किन्तु अपील के अनुतोष में कही भी स्वयं के किये कोई इस्तदुआ दादरसी नही चाहकर केवल तृतीय पक्षकार के विरासती नामान्तरकरण को अविधिक रूप से चुनौती दी गई है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

समक्ष अपील अन्तर्गत नामान्तरकरण में क्या खामी रही तथा किस विधिक वारिस के नाम नामान्तरकरण तस्दीक नही किया गया इस बाबत अपनी विधि बाधित अपील में कोई अंकन, अभिवचन भी दर्ज नही किया जबकि विधि की यह सुस्पष्ट मंशा है कि अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति यदि स्वयं के लिये कोई अनुतोष क्लेम नही करता है अथवा वह स्वयं अपीलाधीन नामान्तरकरण से एग्रीव्ड व्यक्ति नही है तो ऐसे तृतीय व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की विरासत को चुनौती देकर अपील प्रस्तुत करने की कोई इजाजत प्रदत्त नही की जा सकती ही किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मिन अपीलार्थीगण विक्रेता के विरासती नामान्तरकरण को चुनौती अवश्य दी गई किन्तु न तो अपनी अपील मीमों में ऐसा कोई विवेचन दर्ज किया है कि विरासती नामान्तरकरण किस प्रकार अवैध है तथा किस वारिस के नाम से विरासती नामान्तरकरण तस्दीक नही किया गया इस बाबत न तो रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी अपील मीमों में कोई कथनात ही किया तथा ना ही विरासती नामान्तरकरण से स्वयं किस प्रकार से प्रभावित है, इस बाबत कथनात दर्ज किये है और ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने स्वयं के लिये अपील में कोई अनुतोष की मांग भी नही की गई, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कोई अपील प्रस्तुती की इजाजत प्रदत्त नही करनी चाहिये थी क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 किसी भी अवस्था में उक्त अपीलाधीन विरासती नामान्तरकरण से प्रभावित पक्षकार ही नही था।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आराजीयात बाबत एक नियमित वाद सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर के समक्ष 441/2008 विचाराधीन था जो कि अब दिनांक 04.03.2022 को खारिज हो चुका है इस प्रकार जब नियमित वाद पक्षकारान के मध्य निर्णित हो चुका है तो ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही के माध्यम से किसी भी तृतीय व्यक्ति को विरासत को चुनौती देने का कोई कानूनी हक, अधिकार हांसिल नही हो सकते। इन तमाम कानूनी बिन्दुओं की अनदेखी करते हुऐ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से विरासती नामान्तरकरण संख्या 511 दिनांक 22.04.2013 को कानून की मंशा के विपरित कर तत्कालिन राजस्व भू अभिलेखों में दर्ज भू अभिलेख काबिज खातेदार काश्तकारान के राजस्व कानूनी हक अधिकारों को करटैल करते हुये अवैध अपीलाधीन आदेश न्यायिक सिद्धान्तो के विरूद्ध जाकर पारित किया गया है जो किसी भी अवस्था में विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध अविधिक आदेश होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाये जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के आदेश दिनांक 27.07.2017 प्रकरण संख्या 6/2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जबकि न्यायालय श्रीमान् द्वारा उनके समक्ष दर्ज अपील

**P.T.O.**

आयुक्त
जयपुर

संख्या 351/2017 बउनवानी मनभरी देवी बनाम गंजानन्द व अन्य में दिनांक 14.02.2018 को निर्णय पाारित कर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2017 को यथावत रखा गया है, अब पुनः उसी अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट पतासी देवी ने उक्त उनवानी प्रकरण संख्या 2020/00607 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की है जबकि एक ही आदेश के विरूद्ध जब न्यायालय श्रीमान् के समक्ष निर्णय पारित कर दिया तो पुनः उसी निर्णय के विरूद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील अथवा माननीय न्यायालय श्रीमान् के समक्ष रिव्यू का ही स्कोप विधि द्वारा नियत है लेकिन अपीलान्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पृथक से अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध पुनः अपील प्रस्तुत की है जो कतई विधि अनुकूल नही होने से प्रारम्भिक स्तर पर ही पोषणीय नही होने के कारण काबिले खारिज योग्य है तथा न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित अपने पूर्व पारित में पारित अपने आदेश के सम्बन्ध में पुनः प्रस्तुत अपील के माध्यम से पुनः सुनने का कोई विधिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। इसलिये भी उक्त अपील प्रारम्भिक स्तर पर ही पोषणीय नही होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक अपील यह कहते हुये प्रस्तुत की थी कि ग्राम देवगुढा तहसील आमेर के खसरा नम्बर 521, 523, 524 लगायत 530, 531/1073, 553 लगायत 535, 535/928, 1226, 536, 537 लगायत 541, 558 लगायत 562, 567 लगायत 576 कुल किता 36 कुल रकबा 14.20 हैक्टयर भूमि के 1/6 भाग की खातेदारी गलत रूप से रामकिशोर पुत्र चौथमल जाति ब्राहाम्ण के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गई थी तथा रामकिशोर की मृत्यु दिनांक 17.08.2003 को होने के कारण उनकी वारिसान मनभरी देवी वगैरहा के नाम ग्राम पंचायत देवगुढा के यहॉ नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 08.03.2006 के प्रस्ताव संख्या 4 के अनुसार खारिज फरमा दिया गया जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर ने दिनांक 09.01.2013 को निर्णय पारित करते हुये प्रकरण तहसीलदार आमेर को प्रेतिप्रेषित किया जिसकी पालना में तहसीलदार आमेर ने प्रकरण संख्या 103/2013 दर्ज करके नोटिस जारी किये गये जो जैरकांर है लेकिन तहसीलदार आमेर ने बिना आधार के न्यायिक प्रक्रिया विचाराधीन रहते हुये ही अपीलान्ट से साजकर तथा पटवारी हल्का द्वारा समस्त तथ्य छिपाते हुये नामान्तरकरण संख्या 511 अपीलान्ट के हक में खोल दिया जो कतई विधि अनुकूल नही था तथा न्यायालय सहायक कलक्टर के समक्ष ओमप्रकाश बनाम जगदीश के नाम से वाद बाबत घोषणा का प्रस्तुत कर रखा है तथा अन्य प्रकरण भी भूमि बाबत विभिन्न न्यायालयों में जैरकार है, अपीलान्ट को आराजी जैर भूमि में कतई कोई कब्जा काश्त नही रहा तथा रामश्किोर पुत्र चौथमल के मॉजाये भाई हनुमान के गोद गये रामकिशोर कि दत्तक माता अणची देवी ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें मनभरी देवी ने रामकिशोर को

आयुक्त
जयपुर

दत्तक पुत्र होना स्वीकार किया है तथा दूसरी तरफ चौथमल का पुत्र होते हुये चौथमल के सम्पत्ति में अपना हिस्सा माना है। इस प्रकार एक व्यक्ति किसी भी रूप मे दो पिता की संताने नही हो सकता, रामकिशोर की वारिसान मनभर देवी द्वारा द्वारका प्रसाद, सांवरमल, दुर्गादेवी तथा मृतक राजूदेवी है ग्राम पंचायत देवगुढा ने मनभरी देवी स्वयं द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र को शपथ पत्र देकर गलत बताया है तथा शपथ पत्र में रामकिशोर पुत्र चैथमल के वारिसान के रूप में विरासत द्वारका प्रसाद के नाम स्वीकृत करने बाबत पेश किया इस तथ्य से अपीलान्ट का उक्त भूमि में कोई लेना देना नही है लेकिन तहसीलदार के समक्ष अहम तथ्य को भी नजर अन्दाज करते हुये विवादित नामान्तरकरण स्वीकार किया गया जो निरस्तनीय था क्योंकि कानूनन जब किसी न्यायालय में प्रकरण जैरकार है तो प्रकरण के जैरकार रहते हुये राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार का नवीन इन्द्राज नही किया जा सकता तहसीलदार द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत सुनवाई का निर्णय करने के विपरित मनमान आदेश पारित किया जो नामान्तरकण खोलना, जो उसके विधिक क्षेत्राधिकार में नही है। उपरोक्त आधारों से संतुष्ट होते हुये अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर ने आदेश दिनांक 27.07.2017 पारित करते हुये नामान्तरकरण संख्या 511 दिनांक 22.04.2013 को निरस्त किया है जो सही है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट की अपील सख्या 2020/00607 खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 16 लगायत 18 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कथनों को समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को विधि सम्मत बताते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है तथा अपीलार्थी का वादग्रस्त में पंजिकृत विक्रय पत्र से क्रेता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष अपीलान्ट पक्षकार नही बनाया गया जिससे अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहा है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण तहसीलदार आमेर को उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा प्रकरण संख्या 17/2011 में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2013 की अनुपालना में प्रकरण में पुनः उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये वारिसों की जॉच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने

P.T.O.

सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

हेतु रिमाण्ड किया गया है तथा तहसीलदार के समक्ष अभी कार्यवाही विचाराधीन है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी तहसीलदार आमेर के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही के दौरान अपना पक्ष, समर्थन रखकर अपने हक, हकूक, अधिकारों के सम्बन्ध में चाराजोही कर सकते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2017 के संदर्भ में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 09.01.2013 की अनुपालना में वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी में दर्ज सभी क्रेताओं को पक्षकार बनाते हुए काबिज काश्तकारान को भी साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

**(अन्तरसिंह नेहरा)**
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

23/1/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।